

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1464 /गोपनीय/2019
दो-३-१/2019

जबलपुर, दिनांक १३ दिसम्बर, 2019

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती शिवानी शर्मा	गोहद	ग्वालियर	ग्वालियर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से।
2	श्री प्रियंक भारद्वाज	राजनगर	पन्ना	पन्ना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3	श्री चौधर सिंह सैयाम	मण्डला	ढीमरखेड़ा	कटनी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री इंदुकांत तिवारी के स्थान पर।
4	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत	आमला	नलखेड़ा	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 शाजापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान नलखेड़ा, की हैसियत से श्री धर्मेन्द्र सोनी के स्थान पर।
5	श्री रवि चौकसे	सागर	सीहोर	सीहोर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
6	श्रीमती शालू सिरोही चौकसे	सागर	सीहोर	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सीहोर के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा द्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


 १३-१२-१९
 *(राजेन्द्र कुमार वाणी)
 रजिस्ट्रार जनरल
 ५५

पृष्ठांकन क्रमांक 1465 / गोपनीय / 2019
दो-३-१ / 2019

जबलपुर, दिनांक / ३ दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि:-

- 1 उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश-ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 5.

 1. श्रीमती शिवानी शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, गोहद जिला भिण्ड,
 2. श्री प्रियंक भारद्वाज, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, छतरपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-राजनगर, जिला छतरपुर,
 3. श्री चौधर सिंह सैयाम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मण्डला,
 4. श्री धर्मेन्द्र खण्डायत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, आमला जिला बैतूल,
 5. श्री रवि चौकसे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सागर,
 6. श्रीमती शालू सिरोही चौकसे, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सागर,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित । वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 02-01-2020** अथवा उसके पूर्व अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें । कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें ।

6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ / छिन्दवाड़ा / विदिशा / देवास / सतना / भिण्ड / दमोह / इंदौर / सागर / छतरपुर / मण्डलेश्वर / बैतूल / सीधी / अलीराजपुर / उज्जैन / हरदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 02-01-2020** अथवा उसके पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें । कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें ।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, _____ को सूचनार्थ अग्रेषित ।
8. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-

 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर / जिला जज (निरीक्षण), जे०ई०-१, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001 / जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता) / (न्यायिक) / (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary) / (जिला स्थापना) / (कार्य एवं अधोसंचना) / (आई०एल) / (न्यायिक-१) / (न्यायिक-२) / (सतर्कता) / रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (7) संचालक / अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

- 9 रजिस्ट्रार (ई०) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल) / डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-१) / (न्यायिक-२), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 10 रजिस्ट्रार—कम—माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 11 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर / ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 14 रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 15 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अप्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।



१३.८.१७
 ४^४
 * (राजेन्द्र कुमार वाणी)
 रजिस्ट्रार जनरल